

आवासीय भूखण्डों हेतु
वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप




कार्यालय, परियोजना अधिकारी
उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, सेक्टर बी-3, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, लोनी, गाजियाबाद-201103
फोन नं० 0120-2696655, फ़ैक्स 0120-2696644
Website :- www.upsidc.com

ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, जनपद-गाजियाबाद में आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा

आवासीय भूखण्डों का विवरण

क्रम सं०	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूखण्डों की संख्या	धरोहर धनराशि (रु० में)
1	upto 112	28	270000.00
2	113 – 150	30	360000.00
3	151 – 162	11	390000.00
4	163 – 200	66	480000.00
4	201 – 225	80	540000.00
5	226 – 250	42	600000.00
6	301 – 330	01	792000.00
7	Above 331 upto 560	03	1000000.00



भूखण्डों की दर

- उपरोक्त भूखण्ड औ०क्षे० ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के विभिन्न आवासीय सेक्टरों में स्थित हैं, जिनकी दर रु० 24000/- प्रति वर्गमीटर है (लोकेशन एवं कार्नर चार्ज अतिरिक्त)।

औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी की लोकेशन/मूलभूत सुविधायें/विशेषतायें

- औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग-57 पर तथा दिल्ली बार्डर से मात्र 03 कि०मी०, कर्नाट प्लेस से 22 कि०मी०, ISBT से 18 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, निर्माणाधीन ईस्टन पेरिफेरियल वे से 05 कि०मी० दूर।
- निर्माणाधीन शिव विहार मेट्रो स्टेशन से 06 कि०मी० दूर एवं मेट्रो परियोजना का ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी तक विस्तारीकरण प्रस्तावित।
- औद्योगिक क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज, बैंक, डाकघर, स्कूल, विद्युत सब-स्टेशन, शॉपिंग मॉल/शॉपिंग सेंटर, पुलिस थाना, फायर स्टेशन, कैंस्टिव पावर प्लान्ट एवं सेंट्रल पार्क स्थापित है।
- ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में सलवान पब्लिक स्कूल एवं होली चाइल्ड एकेडमी पूर्ण रूप से संचालित है।

प्रक्रिया एवं शर्तें :-

- आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, प्रशासनिक भवन, सेक्टर बी-3, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद से किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक रु० 525.00 का नगद भुगतान के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र उपरोक्त धरोहर धनराशि एवं प्रक्रिया शुल्क के मद में रु० 2000/- (Non Refundable) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "यूपीएसआईडीसी लि०" के पक्ष में दिल्ली/गाजियाबाद में देय हो, के साथ अंतिम तिथि तक सांय 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। इसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त अपूर्ण आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- योजना 31 मार्च 2017 (सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2016-17 तक Open Ended) तक जारी रहेगी तथा प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदनों को अगले माह में लाटरी ड्रा के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।
- सफल आवेदकों को भूखण्डों के आवंटन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आवंटित भूखण्ड के मूल्य का 25 प्रतिशत आरक्षित धनराशि (धरोहर धनराशि को समायोजित करने के पश्चात्) जमा करना होगा। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 12 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में 14 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित करना होगा। समय से भुगतान करने पर ब्याज में 2प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवंटन पत्र निर्गत करने की तिथि पर भूमि की प्रचलित दरें ही लागू होंगी। भूखण्ड 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जायेगा। आवंटन को आवंटन पत्र पर उल्लेखित अन्य देयों का भुगतान भी समय से करना होगा।
- निगम प्रबन्धन को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवंटन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा व इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- विस्तृत जानकारी के लिये परियोजना अधिकारी कार्यालय, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद में सम्पर्क कर सकते हैं।

परियोजना